भारत के असाधारण राजपत्र, भाग III अनुभाग 4 में प्रकाशनार्थ

दूरसंचार अंतरसंयोजन (संशोधन) विनियम, 2018
(2018 का 4)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2018

मिसिल संख्या 10–10/2016–बीबीएण्डपीए – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के उप–खंडों (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार अंतरसंयोजन विनियम, 2018 (2018 का 1) में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः–

1	(1) इन विनियमों को दूरसंचार अंतरसंयोजन (संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 4) कहा जाएगा ।
	(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2	दूरसंचार अंतरसंयोजन विनियम, 2018 (2018 का 1) (जिसे इसमें आगे मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 6 के उपविनियम (3) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, नामतः "बशर्ते 1 फरवरी, 2018 से पूर्व मुहैया कराए गए सभी पोर्ट्स के लिए पोर्ट प्रभार और अवसंरचना प्रभार का भुगतान दिनांक 1 फरवरी, 2018 से पूर्व उन पर लागू निबंधन और शर्तों के अनुरूप किया जाता रहेगा।"
3	मूल विनियमों के विनियम 8 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः– **''पीओआई के संवर्धन हेतु अनुरोध** –– (1) प्रत्येक सेवा प्रदाता, हर छह माह पर, अपने अंतरसंयोजन सेवा प्रदाता को प्रत्येक पीओआई पर अगले छह माह के लिए व्यस्त घंटा आउटगोइंग ट्रैफिक के बारे में अपना पूर्वानुमान बताएगा और ऐसा पहला पूर्वानुमान दूरसंचार अंतरसंयोजन (संशोधन) विनियम, 2018 के लागू होने के साठ दिनों के भीतर मुहैया कराना होगा और इसके बाद हर वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को मुहैया कराना होगा। (2) एक सेवा प्रदाता पीओआई पर अतिरिक्त पोर्ट्स के लिए दूसरे सेवा प्रदाता से अनुरोध कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे पीओआई की क्षमता का अनुमानित उपयोग, अनुरोध प्रस्तुत करने की तिथि से साठ दिनों की समाप्ति पर, जिसकी गणना इन विनियमों की अनुसूची II में दिए गए तरीके से की गई है, 85 प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना है और पीओआई की क्षमता के अनुमानित उपयोग का निर्धारण व्यस्त घंटे के दौरान, पिछले साठ दिनों के लिए दैनिक ट्रैफिक के आधार पर किया जाएगाः बशर्ते सेवा प्रदाता अतिरिक्त पोर्ट्स की ऐसी अतिरिक्त संख्या के लिए अनुरोध करेगा जिससे अनुरोध करने की तिथि से साठ दिनों की समाप्ति पर ऐसे पीओआई की क्षमता का उपयोग 75 प्रतिशत से कम होने की संभावना हों।''
4	मूल विनियमों के विनियम 9 में, (क) उपविनियम (1) में, ''पांच कार्यदिवसों'' को ''सात कार्यदिवसों'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
	(ख) उपविनियम (2) में, ''तीन कार्यदिवसों'' को ''पांच कार्यदिवसों'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
	(ग) उपविनियम (3) में, ''पांच कार्यदिवसों'' जहां–कहीं भी उल्लेख हों, को ''दस कार्यदिवसों से प्रतिस्थापित

	किया जाएगा;
	(घ) उपविनियम (4) में, ''तीन कार्यदिवसों'' को ''दस कार्यदिवसों'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
	(ड.) उपविनियम (5) में, ''पांच कार्यदिवसों'' को ''दस कार्यदिवसों'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
5	मूल विनियमों की अनुसूची I के बाद, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, नामतः– **''अनुसूची II** पीओआई के चैनलों की दी गई संख्या के लिए सेवा के 0.5 प्रतिशत ग्रेड हेतु इसकी क्षमता का आंकलन इरलांग बी सारणी से किया जाएगा। पीओआई के पोर्ट्स के संवर्धन की गंणना का नमूना नीचे दर्शाया गया है: मान लीजिए सेवा प्रदाता ए के पास अपने आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए, सेवा प्रदाता बी के साथ वर्तमान में 600 चैनलों के पीओआई है, तो इरलांग बी सारणी के अनुसार, सेवा के 0.5 प्रतिशत ग्रेड पर ऐसे पीओआई की क्षमता 562.3 इरलांग होगी। अब जब आज से साठ दिनों की समाप्ति पर सेवा प्रदाता ए का अनुमानित आउटगोइंग ट्रैफिक 477.95 इरलांग (अर्थात् पीओआई क्षमता का 85 प्रतिशत) से अधिक होगा, तो वह सेवा प्रदाता बी से उतनी संख्या में पोर्ट्स के लिए पीओआई की क्षमता बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है, जिससे यह 637.27 इरलांग (अर्थात 477.95/0.75) से अधिक हो जाए। इसके परिणामस्वरूप इरलांग बी सारणी के अनुसार, उक्त पीओआई पर पोर्ट्स में लगभग 77 चैनलों का संवर्धन होगा।''

(एस.के. गुप्ता)
सचिव

टिप्पणी 1: मूल विनियम दिनांक 01.01.2018 की मिसिल संख्या 10–10/2016–बीबीएण्डपीए (2018 का 1) के तहत प्रकाशित किए गए थे।

टिप्पणी 2: व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरंसचार अंतरसंयोजन (संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 4) के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट किया गया है।

"दूरसंचार अंतरसंयोजन (संशोधन) विनियम, 2018" दिनांक 05.07.2018 का व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. प्राधिकरण ने 1 जनवरी, 2018 को दूरसंचार अंतरसंयोजन विनियम, 2018 अधिसूचित किए थे। ये विनियम 1 फरवरी, 2018 से प्रभावी हो गए हैं।

2. कुछ हितधारकों ने प्राधिकरण को उपरोक्त विनियमों को कार्यान्वित करने में आ रही मुश्किलों के बारे में लिखा था। तदनुसार, सेवा प्रदाताओं के दृष्टिकोण को समझने के लिए भादूविप्रा में 9 मार्च, 2018 और 19 मार्च, 2018 को उनके साथ बैठकें आयोजित की गई थी। इन बैठकों में चर्चा के दौरान, सेवा प्रदाताओं ने मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दे उठाए थे:

   (क) विनियम के अनुसार, पोर्ट्स को दो तरफा (टू वे) से एक तरफा (वन वे) में बदलने के बाद, टीएसपी के बीच अदा किए जा रहे मौजूदा वार्षिक पोर्ट प्रभारों की स्थिति क्या रहेगी।

   (ख) चूंकि भादूविप्रा ने क्यूओएस विनियमों के तहत 0.5 प्रतिशत पीओआई कंजेशन मानदंड पहले ही निर्धारित कर दिया है, इसलिए पीओआई क्षमता उपयोग को 60 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए अतिरिक्त मानदंड की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार, वर्तमान में पीओआई का उनकी क्षमता का उच्च स्तर पर जैसे कि 85 से 90 प्रतिशत तक इस्तेमाल किया जा रहा है तब भी क्यूओएस मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है। बहरहाल, विनियम में पीओआई का 60 से 70 प्रतिशत उपयोग निर्दिष्ट किया गया है, जो अनुचित है क्योंकि इसके कारण नेटवर्क संसाधनों का कम उपयोग होगा और अनावश्यक लागत निहित होगी।

   (ग) समयबद्ध तरीके से पोर्ट मुहैया कराने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि मौजूदा पद्धति के अनुसार, मांगकर्ता अगले 6 माह के लिए अपेक्षित पोर्ट क्षमता का पूर्वानुमान बनाना जारी रखेंगे ताकि अन्य पक्ष तदनुसार अपने नेटवर्क को तैयार करने में समर्थ हो सकें।

   (घ) सेवा प्रदाताओं के अनुसार, पीओआई क्षमता का संवर्धन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई डोमेन्स जैसे कोर, ट्रांसमिशन और स्विचिंग आदि और इन डोमेन्स से जुड़े विभिन्न तकनीकी, वाणिज्यिक, प्रापण और लॉजिस्टक मुद्दें शामिल होते हैं जिससे विनियम में निर्धारित 21 दिनों की समयसीमा एक चुनौती बन जाती है।

3. प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की और 08.05.2018 को हितधारकों के परामर्श के लिए ''प्रारूप दूरसंचार अंतरसंयोजन (संशोधन) विनियम, 2018'' जारी किया। सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रारूप विनियम भदूविप्रा की वेबसाइट अर्थात् www.trai.gov.in पर भी अपलोड किया गया था। हितधारको से 18.05.2018 तक अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। 8 हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त की गई थी।

क. **08.05.2018 को जारी ''प्रारूप दूरसंचार अंतरसंयोजन (संशोधन) विनियम, 2018'' में उठाए गए मुख्य मुद्दों का विश्लेषण**

परामर्श के लिए निम्नलिखित मुद्दें उठाए गए थेः

(i) दूरसंचार अंतरसंयोजन विनियम, 2018 (2018 का 1) (इसमें जिसे मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 6 में उपविनियम (3) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"बशर्ते 1 फरवरी, 2018 से पूर्व मुहैया कराए गए सभी पोर्ट्स के लिए पोर्ट प्रभार और अवसंरचना प्रभार का भुगतान दिनांक 1 फरवरी, 2018 से पूर्व उन पर लागू निबंधन और शर्तों के अनुरूप किया जाता रहेगा।"

(ii) मूल विनियमों के विनियम 8 को निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"पीओआई के संवर्धन हेतु अनुरोध— *(1) प्रत्येक सेवा प्रदाता हर छह माह पर अपने अंतरसंयोजन सेवा प्रदाता को प्रत्येक पीओआई पर अगले छह माह के लिए व्यस्त घंटा आउटगोइंग ट्रैफिक के बारे में अपना पूर्वानुमान बताएगा और ऐसा पहला पूर्वानुमान ''दूरसंचार अंतरसंयोजन (संशोधन) विनियम, 2018'' के लागू होने के 60 दिनों के भीतर मुहैया कराना होगा और इसके बाद हर वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को मुहैया कराना होगा।*

(2) एक सेवा प्रदाता पीओआई में अतिरिक्त पोर्ट्स के लिए दूसरे सेवा प्रदाता से अनुरोध कर सकता है, यदि ऐसे पीओआई की क्षमता का अनुमानित उपयोग, अनुरोध प्रस्तुत करने की तिथि से साठ दिनों की समाप्ति पर, जिसकी गणना इन विनियमों की अनुसूची II में दिए गए तरीके से की गई है, 85 प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना है और पीओआई की क्षमता के अनुमानित उपयोग का निर्धारण व्यस्त घंटे के दौरान, पिछले साठ दिनों के लिए दैनिक ट्रैफिक के आधार पर किया जाएगाः

बशर्ते सेवा प्रदाता अतिरिक्त पोर्ट्स की ऐसी अतिरिक्त संख्या के लिए अनुरोध करेगा जिससे अनुरोध करने की तिथि से साठ दिनों की समाप्ति पर ऐसे पीओआई की क्षमता का उपयोग 75 प्रतिशत से कम होने की संभावना हों।"

(iii)

मूल विनियमों के विनियम 9 में, *(क) उपविनियम (1) में, ''पांच कार्यदिवसों'' को ''सात कार्यदिवसों'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा;*
(ख) उपविनियम (2) में, ''तीन कार्यदिवसों'' को ''पांच कार्यदिवसों'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) उपविनियम (3) में, ''पांच कार्यदिवसों'' जहां–कहीं भी उल्लेख हों, को ''दस कार्यदिवसों'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(घ) उपविनियम (4) में, ''तीन कार्यदिवसों'' को ''दस कार्यदिवसों'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ड.) उपविनियम (5) में, ''पांच कार्यदिवसों'' को ''दस कार्यदिवसों'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) मूल विनियमों की अनुसूची I के बाद, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, नामतः–

''अनुसूची II

पीओआई के चैनलों की दी गई संख्या के लिए सेवा के 0.5 प्रतिशत ग्रेड हेतु इसकी क्षमता का आंकलन इरलांग बी सारणी से की जाएगी। पीओआई के पोर्ट के संवर्धन की गणना का नमूना नीचे दर्शाया गया है:

(i) मान लीजिए सेवा प्रदाता ए के पास अपने आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए, सेवा प्रदाता बी के साथ वर्तमान में 600 चैनलों के पीओआई है, तो इरलांग बी सारणी के अनुसार, सेवा के 0.5 प्रतिशत ग्रेड पर ऐसे पीओआई की क्षमता 562.3 इरलांग होगी। अब जब आज से साठ दिनों की समाप्ति पर सेवा प्रदाता ए का अनुमानित आउटगोइंग ट्रैफिक 477.95 इरलांग (अर्थात् पीओआई क्षमता का 85 प्रतिशत) से अधिक होगा, तो वह सेवा प्रदाता बी से उतनी संख्या में पोर्ट्स के लिए पीओआई की क्षमता बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है, जिससे यह 637.27 इरलांग (अर्थात 477.95/0.75) से अधिक हो जाए। इसके परिणामस्वरूप इरलांग बी सारणी के अनुसार, उक्त पीओआई पर पोर्ट्स में लगभग 77 चैनलों का संवर्धन होगा।''

5. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और सूचनाओं के आधार पर इन मुद्दों का विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है:

(1) दूरसंचार अंतरसंयोजन विनियम, 2018 (2018 का 1) (इसमें जिसे मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 6 में उपविनियम (3) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"बशर्ते 1 फरवरी, 2018 से पूर्व मुहैया कराए गए सभी पोर्ट्स के लिए पोर्ट प्रभार और अवसंरचना प्रभार का भुगतान दिनांक 1 फरवरी, 2018 से पूर्व उन पर लागू निबंधन और शर्तों के अनुरूप किया जाता रहेगा।"

6. जहाँ कुछ हितधारकों ने इस खंड को जोड़ने का विरोध किया है, वहीं एक हितधारक ने प्रस्तावित संशोधन का समर्थन किया है। एक हितधारक ने कहा है कि प्रारूप संशोधन की विषयवस्तु/विषयागत मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए प्राधिकरण को मूल विनियमों में कोई संशोधन करने से पहले मामले के परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

7. प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करने वाले हितधारक ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन में उन टीएसपी को भी शामिल करना चाहिए, जिन्हें उनके पुराने एक्सेस सेवा लाइसेंस के समाप्त होने पर नया यूएल जारी किया गया है और जिन्होंने अपना अंतरसंयोजन करार का नवीकरण किए बिना दूसरे टीएसपी के साथ अपनी अंतरसंयोजन को जारी रखा है। इस हितधारक के अनुसार, पोर्ट्स के संवर्धन की जिम्मेदारी सिर्फ दूसरे टीएसपी की है; इसलिए उसे पोर्ट के संवर्धन के लिए भुगतान के लिए नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव पोर्ट प्रभारों के चल रहे विभिन्न कोर्ट केसों पर भी पड़ सकता है।

8. दूसरी ओर, इस खंड का विरोध करने वाले हितधारकों ने कहा कि प्रस्तावित खंड समानता और निष्पक्षता के सिद्धांत खिलाफ है और अंतरसंयोजन और विनियमों में पारस्परिकता की भावना के विपरीत है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक सेवा प्रदाता को अपने आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए सभी मीडिया अपेक्षाओं और व्ययों को वहन करना चाहिए। उनके अनुसार, विनियम यह अनिवार्य नहीं कर सकता कि वर्तमान पोर्ट के लिए, वर्तमान शर्तें पोर्ट प्रभारों और अवसंरचना प्रभारों के लिए जारी रहेंगे। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि अंतरसंयोजन प्रभार विनियमों द्वारा या परस्पर सहमति से निर्धारित किए जाए। एक हितधारक ने कहा कि मौजूदा पोर्ट के एक तरफा ट्रैफिक को कैरी करने के लिए परिवर्तित होने पर, दूसरे सेवा प्रदाता के आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए पोर्ट के लिए भुगतान करना अनुचित है। हितधारक के अनुसार, पोर्ट प्रभार विनियमों में संशोधन के अनुरूप, मौजूदा पोर्ट के लिए भी, प्रत्येक पक्ष को अपने नेटवर्क से आउटगोइंग ट्रैफिक को कैरी करने के लिए अपेक्षित ई–1 की लागत वहन करनी चाहिए।

9. यह तर्क कि प्रारूप संशोधन का विषयागत मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए प्राधिकरण को मूल विनियमों में कोई संशोधन करने से पहले मामले के परिणाम का इंतजार करना चाहिए, तर्कसंगत नहीं है। मामले में नोटिस जारी करते समय, माननीय न्यायालय ने आगे की कार्यवाही करने पर रोक नहीं लगाई है।

10. जहां तक लाइसेंस के समाप्त होने पर अंतरसंयोजन करार का नवीकरण करने और पोर्ट के संवर्धन से संबंधित मुद्दों की बात है तो इसका निर्णय मूल विनियमों में पहले ही लिया जा चुका है। यह वर्तमान संशोधन का विषयागत मामला नहीं है। इसके अलावा, इस संशोधन का पोर्ट प्रभारों की दर से कोई संबंध नहीं है।

11. हितधारकों का यह तर्क कि प्रस्तावित खंड समानता और निष्पक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है और यह अंतरसंयोजन की पारस्परिक भावना के विपरीत है, गलत है क्योंकि निष्पक्षता और अपेक्षाएं, जो इसके आउटगोइंग ट्रैफिक को कैरी करने के लिए है, पोर्ट्स के परिवर्तन के बाद, प्रत्येक सेवा प्रदाता पोर्ट्स मांगेगा, वो अंतरसंयोजन में समानता और पारस्परिकता सुनिश्चित करेगा। नए पोर्ट्स के लिए अंतरसंयोजन प्रभार सेवा प्रदाताओं की आपसी सहमति से तय किए जाएंगे। इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए मौजूदा पोर्ट्स को दो तरफा से एक तरफा में बदलना जरूरी है। मौजूदा पोर्ट्स और संबंधित अवसंरचना जैसे को–लोकेशन जगह, दो सेवा प्रदाताओं के पोर्ट्स को जोड़ने वाला मीडिया को दो अंतरसंयेाजन करने वाले सेवा प्रदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित करार के अनुसार पहले ही तैयार कर लिया गया है। हितधारकों का यह तर्क कि मौजूदा पोर्ट्स के एक तरफा ट्रैफिक को कैरी करने के लिए परिवर्तित होने पर, अन्य सेवा प्रदाता द्वारा

अपने आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किए गए पोर्ट्स के लिए भुगतान करना अनुचित है, उचित नहीं है क्योंकि परिवर्तन के बाद भी, दोनों सेवा प्रदाताओं द्वारा मौजूदा पोर्ट्स का इस्तेमाल करना जारी रहेगा, जैसा कि पहले किया जा रहा था। मौजूदा पोर्ट्स के एक तरफा ट्रैफिक को कैरी करने के लिए बदलाव का मौजूदा अवसंरचना पर कोई प्रभाव नहीं होगा और इसलिए वाणिज्यिक व्यवस्था पर भी असर नहीं होगा। दिनांक 01.01.2018 को मूल विनियम जारी करते समय, प्राधिकरण का इरादा पोर्ट्स और अवसंरचना प्रभारों के संबंध में सेवा प्रदाताओं के बीच के मौजूदा व्यवस्था को प्रभावित करने का कभी नहीं रहा। यह खंड सिर्फ स्पष्ट करने और किसी तरह के भ्रम, जो बाद की तिथि में उत्पन्न हो सकता है, से बचने के लिए है।

12. तदनुसार, प्राधिकरण का यह मत है कि जहां तक मौजूदा पोर्ट्स के प्रभारों (1 फरवरी, 2018 से पहले मुहैया कराए गए) का संबंध है, इन पोर्ट्स को दो तरफा से एक तरफा में बदलने का का प्रभाव दो कनक्टिंग सेवा प्रदाताओं के बीच पहले से मौजूद वाणिज्यिक व्यवस्था पर नहीं होगा।

13. हितधारकों की टिप्पणियों और आगे विश्लेषण के दृष्टिगत प्राधिकरण ने फैसला किया है किः

दूरसंचार अंतरसंयोजन विनियम, 2018 (2018 का 1) के विनियम 6 में उपविनियम (3) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

> "बशर्ते 1 फरवरी, 2018 से पूर्व मुहैया कराए गए सभी पोर्ट्स के लिए पोर्ट प्रभार और अवसंरचना प्रभार का भुगतान दिनांक 1 फरवरी, 2018 से पूर्व उन पर लागू निबंधन और शर्तों के अनुरूप किया जाता रहेगा।"

(2) मूल विनियमों के विनियम 8 को निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"पीओआई के संवर्धन हेतु अनुरोध— (1) प्रत्येक सेवा प्रदाता हर छह माह पर अपने अंतरसंयोजन सेवा प्रदाता को प्रत्येक पीओआई पर अगले छह माह के लिए व्यस्त घंटा आउटगोइंग ट्रैफिक के बारे में अपना पूर्वानुमान बताएगा और ऐसा पहला पूर्वानुमान "दूरसंचार अंतरसंयोजन (संशोधन) विनियम, 2018" के लागू होने के 60 दिनों के भीतर मुहैया कराना होगा और इसके बाद हर वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को मुहैया कराना होगा।

***(2)** सेवा प्रदाता पीओआई में अतिरिक्त पोर्ट के लिए दूसरे सेवा प्रदाता से अनुरोध कर सकता है, यदि ऐसे पीओआई की क्षमता का अनुमानित उपयोग, अनुरोध प्रस्तुत करने की तिथि से साठ दिनों की समाप्ति पर, जिसकी गणना इन विनियमों की अनुसूची **II** में दिए गए तरीके से की गई है, 85 प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना है और पीओआई की क्षमता के अनुमानित उपयोग का निर्धारण व्यस्त घंटे के दौरान, पिछले साठ दिनों के लिए दैनिक ट्रैफिक के आधार पर किया जाएगाः*

बशर्ते सेवा प्रदाता अतिरिक्त पोर्ट की ऐसी अतिरिक्त संख्या के लिए अनुरोध करेगा जिससे अनुरोध करने की तिथि से साठ दिनों की समाप्ति पर ऐसे पीओआई की क्षमता का उपयोग 75 प्रतिशत से कम होने की संभावना हों।"

14. जहां तक पहले मुद्दे अर्थात् विनियम 8(1) का संबंध है, तो अधिकांश सेवा प्रदाताओं ने या तो प्रस्तावित प्रावधान के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है या कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है। प्रस्तावित प्रावधान का समर्थन करने वाले एक सेवा प्रदाता ने कहा कि पूर्वानुमान के अलावा, ट्रैफिक में प्रत्याशित वृद्धि (इरलांग में) और पोर्ट्स की संख्या को भी शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी ओर एक सेवा प्रदाता ने कहा है कि प्रस्तावित प्रावधान को छोड़ दिया जाए। इस टिप्पणी के समर्थन में यह तर्क रखा गया कि प्रारूप संशोधन का वर्ष में दो बार पूर्वानुमान का प्रावधान अंतरसंयोजित भागीदारों को आने वाली ट्रैफिक वृद्धि के स्वरूप के बारे में सूचित करने के लिए है और ई–1 पोर्ट्स की वास्तविक मांग से इसका कोई संबंध नहीं है। इस हितधारक के अनुसार, पिछले और आने वाली ट्रैफिक वृद्धि के स्वरूप के आधार पर ई–1 के संवर्धन की सतत् प्रक्रिया को देखते हुए यह अपेक्षा अनावश्यक है। यह भी तर्क रखा गया कि इसके कारण नए प्रवेशकर्ता और टीएसपी के बीच विवाद का नया मुद्दा आएगा, जो ई–1 संवर्धन हेतु अनुमानों पर झगड़ना शुरू कर देंगे। इसकी वजह से ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें वर्तमान टीएसपी ट्रैफिक अनुमान की अनुपस्थिति में तत्काल संवर्धन से इंकार कर सकते हैं, जो वर्ष में केवल दो बार प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एक हितधारक ने कहा कि पूर्वानुमान का अंतराल छह माह से घटा कर तीन माह किया जाना चाहिए।

15. विभिन्न सेवा प्रदाताओं के अंतरसंयोजित नेटवर्क्स एक प्रणाली के रूप में काम करते हैं, जिसके लिए नेटवर्कों के बीच वॉइस कॉल को कंजेशन मुक्त तरीके से पूर्ण करना जरूरी होता है। इस मकसद को पूरा करने के लिए स्विचिंग और ट्रांसमिशन नेटवर्क क्षमताओं के विस्तार की योजना बनाने के लिए नियमित अंतराल पर ट्रैफिक अनुमान महत्वपूर्ण हैं। विशेषकर, यह तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जब एक सेवा प्रदाता के निर्णय का असर अंतरसंयोजन सेवा प्रदाता के नेटवर्क की क्षमता नियोजन पर पड़ने की संभावना हों। साल में दो बार ट्रैफिक के अनुमान से प्रत्येक सेवा प्रदाता को अपने नेटवर्क के विस्तार के लिए सूचना अग्रिम में और समय पर मिल सकेगी। यह अपेक्षित है कि ट्रैफिक के अनुमान से विनियमों में निर्धारित समय–सीमा के भीतर पीओआई का संवर्धन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस आशंका का कि इससे कोई मकसद पूरा नहीं होगा और इसके कारण बिना किसी औचित्य के विवाद का नया मुद्दा उत्पन्न होगा, का कोई तर्क नहीं है। पर्याप्त सुरक्षापाय जैसे टीआईआर, 2018 के तहत प्रारंभिक अंतरसंयोजन मुहैया कराने और पीओआई के संवर्धन के लिए समय–सीमा परिभाषित करने और टीआईआर, 2018 में वर्तमान संशोधन को देखते हुए ऑपरेटरों द्वारा इंकार की कोई संभावना वास्तविक प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार, प्राधिकरण का यह मत है कि प्रारंभ में 60 दिन के भीतर और बाद में वर्ष में दो बार ट्रैफिक अनुमान की शर्त औचित्यपूर्ण है। जहां तक पोर्ट्स की संख्या और ट्रैफिक को (इरलांग में) अनुमानों में शामिल करने का संबंध है, तो वर्तमान संशोधन में अनुसूची-II को जोड़ने से इस मसले का पहले ही ध्यान रखा जा चुका है।

16. दूसरे मुद्दे अर्थात् 8(2) पर हितधारकों से अलग–अलग राय प्राप्त हुई है। कुछ हितधारकों का यह मत था कि पोर्ट के संवर्धन का मुद्दा ऑपरेटरों के आपसी चर्चा के लिए छोड़ दिया जाए और कोई नियामक अधिदेश न थोपा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि 0.5 प्रतिशत पीओई कंजेशन मानदंड पहले से निर्धारित है; इसलिए क्षमता उपयोग के आधार पर अतिरिक्त मानदंड की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ हितधारकों ने यह भी कहा कि पीओआई के संवर्धन के अनुरोध को 90 प्रतिशत (85 प्रतिशत के स्थान पर) पर प्रारंभ किया जा सकता है जबकि संवर्धन करने और क्यूओस को बनाए रखने के लिए पर्याप्त क्षमता अभी भी उपलब्ध है। संवर्धन के अनुरोध ऐसे अतिरिक्त पोर्ट के लिए किए जा सकते हैं, जो उपयोग को 80 प्रतिशत पर ला सकते हैं। यह तर्क रखा गया कि सर्किटों की बढ़ी हुई क्षमता पीओआई की कुशलता उपयोग को बढ़ाती है। हितधारकों ने इस संबंध में यह भी कहा कि यदि विनियम 8 और अनुसूची II, दोनों में इसे स्पष्ट किया जाएगा तो यह सहायक होगा कि व्यस्त घंटे को सेवा प्रदाता के लिए नेटवर्क स्तर पर सर्किट में सभी ट्रंक समूहों (और पीओआई लोकेशन) के लिए समय स्थिर दैनिक व्यस्त घंटा ट्रैफिक के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए और बाउंसिंग व्यस्त घंटे (बीबीएच) का उपयोग नहीं किया जाए।

17. इसके विपरीत, एक सेवा प्रदाता ने टीआईआर, 2018 के मौजूदा प्रावधान में किसी भी बदलाव का विरोध किया है। यह कहा गया कि पिछले 60 दिनों के ट्रैफिक की निगरानी करने की समयावधि अगले 60 दिनों के ट्रैफिक के अनुमान के रूप में इस्तेमाल करने के लिए काफी ज्यादा है क्योंकि यह मानना है कि 4 माह के लिए ट्रैफिक वृद्धि एक जैसी रहेगी, संभावना बहुत कम है। इसलिए टीआईआर, 2018 के तहत मुहैया कराई गई समयावधि अर्थात् 30+30 दिन आदर्श है औ इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि संवर्धन के लिए प्रस्तावित संशोधित 42 कार्यदिवसों की समयसीमा और प्रत्याशित ट्रैफिक सीमाओं में वृद्धि करने से पीओआई कंजेशन और कॉल विफलता का जोखिम काफी बढ़ जाएगा। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि यदि संवर्धन के बाद ट्रैफिक को कम करके 75 प्रतिशत किया जाता है और मांग केवल 85 प्रतिशत अनुमानित ट्रैफिक उपयोग स्तर पर की जाती है, तो वास्तविक ट्रैफिक वृद्धि में मामूली से अंतर से भी उपयोग 95 प्रतिशत से भी अधिक हो जाएगा, जिससे संवर्धन होने तक कॉल विफलता पहले ही शुरू हो चुकी होगी।

18. हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण करते समय प्राधिकरण ने पाया कि क्यूओएस विनियमों के जरिये निर्धारित पीओआई कंजेशन मानदंडों का अनुपालन सुनश्चित करते समय, पीओआई क्षमता का आदर्श उपयोग सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये स्वतः विरोधी उद्देश्य हासिल किए जाएं, पीओआई क्षमता के संवर्धन के निर्णय को सिर्फ सेवा प्रदाताओं की परस्पर समझ पर नहीं छोड़ा जा सकता है। पीओआई के कंजेशन का नेटवर्क के दूसरे घटकों पर भी सर्पिल प्रभाव पड़ सकता है। तदनुसार, हमेशा पीओआई की क्षमता को इस तरीके से मापने की सलाह दी जाती है कि अधिकांश स्थितियों में पीओआई के

कंजेशन से बचा जा सके। एक तरफ, 60 से 70 प्रतिशत के स्तर पर पीओआई के उपयोग के कारण नेटवर्क संसाधनों का कम उपयोग हो सकता है, दूसरी ओर 90 प्रतिशत या इससे अधिक स्तर पर उपयोग के कारण पीओआई कंजेशन हो सकता है। प्राधिकरण ने यह भी पाया कि समयावधि को तीस दिनों से बदलकर 60 दिन करने से अतिरिक्त पोर्ट्स के विश्लेषण और मुहैया कराने के लिए उपयुक्त विंडो उपलब्ध होगी। यह आशंका कि पीओआई क्षमता संवर्धन हेतु अनुरोध शुरू करने के लिए उपयोग का बढ़ा हुआ स्तर (85 प्रतिशत) या विश्लेषण या अनुमान लगाने की अवधि में वृद्धि (60 दिन) करने से पीओआई कंजेशन हो सकता है, निराधार है। इसके अलावा, प्राधिकरण का यह भी मत है कि समय स्थिर दैनिक व्यस्त घंटा ट्रैफिक वास्तविक ट्रैफिक की सच्ची तस्वीर नहीं दे सकेगा।

19. हितधारकों की टिप्पणियों और आगे विश्लेषण को देखते हुए प्राधिकरण ने निर्णय किया है कि:

मूल विनियमों के विनियम 8 को निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"पीओआई के संवर्धन हेतु अनुरोध"–– (1) प्रत्येक सेवा प्रदाता हर छह माह पर अपने अंतरसंयोजन सेवा प्रदाता को प्रत्येक पीओआई पर अगले छह माह के लिए व्यस्त घंटा आउटगोइंग ट्रैफिक के बारे में अपना पूर्वानुमान बताएगा और ऐसा पहला पूर्वानुमान दूरसंचार अंतरसंयोजन (संशोधन) विनियम, 2018 के लागू होने के साठ दिनों के भीतर मुहैया कराना होगा और इसके बाद हर वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को मुहैया कराना होगा।

(2) सेवा प्रदाता पीओआई पर अतिरिक्त पोर्ट्स के लिए दूसरे सेवा प्रदाता से अनुरोध कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे पीओआई की क्षमता का अनुमानित उपयोग, अनुरोध प्रस्तुत करने की तिथि से साठ दिनों की समाप्ति पर, जिसकी गणना इन विनियमों की अनुसूची II में दिए गए तरीके से की गई है, 85 प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना है और पीओआई की क्षमता के अनुमानित उपयोग का निर्धारण व्यस्त घंटे के दौरान, पिछले साठ दिनों के लिए दैनिक ट्रैफिक के आधार पर किया जाएगा:

बशर्ते सेवा प्रदाता अतिरिक्त पोर्ट्स की ऐसी अतिरिक्त संख्या के लिए अनुरोध करेगा जिससे अनुरोध करने की तिथि से साठ दिनों की समाप्ति पर ऐसे पीओआई की क्षमता का उपयोग 75 प्रतिशत से कम होने की संभावना हों।"

(3)

मूल विनियमों के विनियम 9 में,
(क) उपविनियम (1) में, "पांच कार्यदिवसों" को "सात कार्यदिवसों" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ख) उपविनियम (2) में, "तीन कार्यदिवसों" को "पांच कार्यदिवसों" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) उपविनियम (3) में, "पांच कार्यदिवसों" जहां–कहीं भी उल्लेख हों, को "दस कार्यदिवसों" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(घ) उपविनियम (4) में, "तीन कार्यदिवसों" को "दस कार्यदिवसों" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ड.) उपविनियम (5) में, "पांच कार्यदिवसों" को "दस कार्यदिवसों" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

20. इस मुद्दे पर हितधारकों से अलग–अलग उत्तर प्राप्त हुए हैं। एक तरफ, कुछ हितधारकों ने प्रस्तावित 42 कार्यदिवसों को समयावधि को बढ़ाने के लिए तर्क रखा है। बहरहाल, इनके मत भी अलग–अलग थे। जबकि एक राज्य पीएसयू ने सुझाव रखा कि प्रारंभिक अंतरसंयोजन के लिए कुल समयावधि कम से कम 70 दिन और संवर्धन के लिए कम से कम 60 दिन होनी चाहिए, कुछ हितधारकों ने कहा कि पीओआई के संवर्धन के कार्य में शामिल जटिलता और परस्पर–निर्भरता को देखते हुए संशोधित समयसीमा 60 कार्यदिवसों की होनी चाहिए और कुछेक का मत था कि 90 दिनों का पिछला अधिदेश आदर्श है। यह भी कहा गया कि अनुपालन का आकलन 60 कार्यदिवसों की अम्ब्रेला समयावधि में हो और प्रत्येक गतिविधि के लिए उल्लिखित दिनों की अवधि प्रतीकात्मक और सांकेतिक होनी चाहिए। यह समग्र समयसीमा के भीतर अंतिम उद्देश्य को हासिल करने के दौरान, दोनों अंतरसंयोजित ऑपरेटरों के लिए लचीलापन मुहैया कराएगा। दूसरी ओर, कुछ हितधारकों ने समयावधि में प्रस्तावित वृद्धि के विरोध में तर्क रखा है। एक हितधारक का यह मत है कि ये समयसीमाएं अधिक हैं क्योंकि दोनों पक्ष पीओआई में ट्रैफिक की निगरानी करते हैं और आने वाली अपेक्षाओं से अवगत हैं। अतः अन्य टीएसपी को पीओआई में अपने इन्कमिंग ट्रैफिक की वृद्धि की जानकारी है और उन्हें संवर्धन के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए, टीआईआर 2018 में समय–सीमाएं आदर्श हैं और इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। इस हितधारक के अनुसार, प्रारूप संशोधन यदि कार्यान्वित किया जाता है तो कॉल विफलता और सेवा मानदंडों की गुणवत्ता के गैर–अनुपालन का जोखिम बढ़ जाएगा ।

21. प्राधिकरण इस तथ्य से अवगत है कि पीओआई क्षमता का संवर्धन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई डोमेन्स जैसे कोर, ट्रांसमिशन और स्विचिंग आदि और इन डोमेन्स से जुड़े विभिन्न तकनीकी, वाणिज्यिक, प्रापण और लॉजिस्टक मुद्दें शामिल होते हैं और इसलिए प्राधिकरण ने इस संबंध में सेवा प्रदाताओं से प्राप्त अभ्यावेदनों का संज्ञान लिया और पीओआई क्षमता की वृद्धि की समयावधि को 21 कार्यदिवसों से बढ़ाकर 42 कार्यदिवस करने करने प्रस्ताव किया है। इस अवधि में और वृद्धि की मांग को उचित नहीं ठहराया जा सकता, विशेषकर तब जबकि प्रत्येक छह माह के अंतराल पर प्रत्येक पीओआई के लिए अपने व्यस्त घंटा आउगोइंग ट्रैफिक पूर्वानुमान देने के लिए प्रत्येक सेवा प्रदाता के लिए प्रावधान कर दिया गया है। अब, 42 कार्यदिवसों की समयसीमा के भीतर पीओआई की क्षमता बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अम्ब्रेला रूप में समय–सीमा मुहैया कराने

के मुद्दे पर प्राधिकरण ने यह देखा है कि इस प्रावधान के कारण ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें अंतरसंयोजन के मांगकर्ता की तत्परता अंतरसंयोजन प्रदाता को अनुचित लाभ दे सकती है। उदाहरण के लिए, अगर अंतरसंयोजन मांगकर्ता एक कार्यदिवस में भुगतान करता है और पीओआई के बीच ट्रांसमिश्न लिंक की स्थापना को तैयार रखता है, तो अंतरसंयोजन 42 कार्यदिवसों की तुलना में काफी कम समय में स्थापित हो सकता है। बहरहाल, अगर समग्र अम्ब्रेला समय–सीमा मुहैया कराई जाती है तो अंतरसंयोजन मांगकर्ता द्वारा प्रदर्शित तत्परता को अंतरसंयोजन प्रदाता द्वारा विनियमों का उल्लंघन किए बिना जब्त की जा सकती है। यह तर्क कि प्रारूप संशोधन, यदि लागू किए जाते हैं, तो इससे कॉल विफलता और सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों के गैर–अनुपालन का जोखिम बढ जाएगा, सत्य से दूर है क्योंकि ट्रैफिक में कमी/वृद्धि के लिए अभी भी 15 प्रतिशत क्षमता उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा, आपात स्थिति के मामलों में मांगकर्ता अपनी ओर से सभी चीजों को तैयार रखकर और प्रदाता के संचार का तुरंत उत्तर देकर इस अवधि को घटाकर सिर्फ 27 कार्यदिवस तक कर सकता है।

22. हितधारकों की टिप्पणियों और आगे विश्लेषण के दृष्टिगत, प्राधिकरण ने निम्नलिखित समयबद्ध तरीके से प्रारंभिक अंतरसंयोजन के लिए पोर्ट्स मुहैया कराने और पीओआई में पोर्ट्स बढ़ाने को सुनिश्चित करने के लिए समय–सीमा को 21 कार्यदिवस से बढ़ाकर 42 कार्यदिवस करने का निर्णय लिया है:

(क) एक सेवा प्रदाता, पोर्टों और सहस्थापन हेतु स्थान, यदि आवश्यक हो तो, का अनुरोध की प्राप्ति होने पर, अनुरोध प्राप्ति के सात कार्य दिवसों के भीतर स्वीकृति और मांग नोट, यदि कोई हो, पत्र जारी करेगा।

(ख) एक सेवा प्रदाता, मांग नोट प्राप्त होने पर, मांग नोट प्राप्त होने की तिथि से पांच कार्य दिवसों के भीतर राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करेगा।

(ग) वह सेवा प्रदाता, जिसने स्वीकृति पत्र जारी किया था, अनुरोध करने वाले सेवा प्रदाता को पोर्ट की व्यवस्था करने और सहस्थापन स्थान आबंटित करने, यदि लागू हो तो, के बारे में सूचित करेगा –

(i) यदि कोई मांग नोट जारी नहीं किया गया हो तो, इस स्वीकृति पत्र को जारी करने की तिथि से दस कार्य दिवसों के भीतर; और

(ii) यदि मांग नोट जारी किया गया हो तो, मांग नोट के समक्ष अनुरोधकर्ता सेवा प्रदाता से भुगतान प्राप्ति की तिथि से दस कार्य दिवसों के भीतर।

(घ) एक सेवा प्रदाता, पोर्ट व सहस्थापन स्थान, यदि लागू हो, की व्यवस्था की सूचना प्राप्त होने पर, सूचना प्राप्ति के दस कार्य दिवसों के भीतर, दोनों सेवा प्रदाताओं के पीओआई के बीच सम्प्रेषण संबंध की स्थापना के बारे में दूसरे सेवा प्रदाता को सूचित करेगा ।

(ङ) एक सेवा प्रदाता, पीओआई के बीच सम्प्रेषण संबंध की स्थापना की सूचना प्राप्त होने पर, सूचना प्राप्त होने के दस कार्य दिवसों के भीतर स्वीकृति परीक्षण करेगा और अन्य सेवा प्रदाता को पोर्टों के आरंभ होने के संबंध में अंतिम पत्र जारी करेगा।

23. नीचे दिए उदाहरण में, सेवा प्रदाता द्वारा मांग पत्र जारी करने के मामले में, पीओआई में पोर्ट्स का संवर्धन और प्रारंभिक अंतरसंयोजन मुहैया कराने के संबंध में अनुपालन की जाने वाली समयसीमाओं को दर्शाया गया है, जिनके लिए प्रारंभिक अंतरसंयोजन मुहैया कराने और पोर्ट के संवर्धन का अनुरोध निम्नानुसार हैं:

सेवा प्रदाता–1 से पोर्टों और सहस्थापन हेतु स्थान, यदि कोई हो, के संबंध में अनुरोध की प्राप्ति होने पर स्वीकृति पत्र और मांग नोट जारी करने के लिए सेवा प्रदाता–2 के लिए अधिकतम अवधि (कार्य दिवसों में)	**7**				
मांग नोट प्राप्त होने की तिथि से राशि का भुगतान करने के लिए सेवा प्रदाता –1 के लिए अधिकतम अवधि (कार्य दिवसों में)		**5**			
पीओआई पर अनुरोध किए गए पोर्टों की व्यवस्था किए जाने और सहस्थापन हेतु स्थान आबंटन किए जाने के संबंध में सेवा प्रदाता–2 द्वारा सेवा प्रदाता–1 को जानकारी प्रदान करने के लिए अधिकतम अवधि (कार्य दिवसों में)			**10**		
पीओआई के बीच सम्प्रेषण संबंध स्थापित होने के संबंध में सेवा प्रदाता –1 द्वारा सेवा प्रदाता –2 को जानकारी प्रदान किए जाने की अधिकतम अवधि (कार्य दिवसों में)				**10**	
सेवा प्रदाता –2 के लिए स्वीकार्यता परीक्षण करने और पोर्टों को चालू किए जाने संबंध में अंतिम पत्र जारी करने के लिए अधिकतम अवधि (कार्य दिवसों में)					**10**